

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 285]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 जून 2020 — आषाढ़ 3, शक 1942

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 जून 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011.— छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 (क्रमांक 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-124/सात-3/2011 दिनांक 16 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

सरल क्रमांक 14 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

स. क्र.	कार्यालय/ निकाय/ अभिकरण का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा जो प्रदाय की जानी है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित अधिकारी (पद)	सक्षम प्राधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
“15	कार्यालय कलेक्टर	नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफुट तक भूमि का आबंटन	120 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागायुक्त	सचिव, राजस्व
16	कार्यालय कलेक्टर	नगरीय क्षेत्रों में 7500 वर्गफुट तक अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन	120 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागायुक्त	सचिव, राजस्व
17	कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी	व्यपवर्तन प्रकरणों का निराकरण (5000 वर्गफुट तथा 5000 वर्गफुट से अधिक)	90 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	कलेक्टर	संभागायुक्त”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम.डी. दीवान, संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 24th June 2020

NOTIFICATION

No. F-4-124/7-3/2011. — In exercise of the powers conferred by Sections 3, 4, 5 and 7 of the Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011 (No. 23 of 2011), the State Government, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification No. F-4-124/7-3/2011, dated 16th December, 2011, namely :-

AMENDMENT

In the Schedule of said notification,-

After serial number 14 and entries relating thereto, the following shall be added; namely :-

S. No.	Name of Office/Body /Agency	Services to be provided for Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011	Time Period of providing Services (Working day)	Designated Officer providing Service (post)	Competent Officer	Appellate Authority
1	2	3	4	5	6	7
"15	Office of Collector	Allotment of land upto 7500 sqft in Urban areas	120 Working Days	Collector	Commissioner	Secretary Revenue
16	Office of Collector	Settlement of Encroached land upto 7500 sqft in Urban areas	120 Working Days	Collector	Commissioner	Secretary Revenue
17	Office of Sub Divisional Officer	Disposal of Diversion Cases (5000 sqft and more than 5000 sqft)	90 Working Days	Sub Divisional Officer (Revenue)	Collector	Commissioner"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
M.D. DIWAN, Joint Secretary.